संख्या-15/2016/आर-241/26-3-2016-10(36)/2002

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 जनवरी 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तगत अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायतार्थ योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-313/24/ज.जा.वि./2015-16, दिनांक-14-01-2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी प्रेषित है, में दिये गये निर्देशो के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता योजना में किये गये आय-व्ययक प्राविधान रूपया-8.50/- लाख (रूपया- आठ लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रूपया-4,25,000- लाख (रूपया चार लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)- उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के सापेक्ष ब्यय/आवंटन किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इससे पूर्व सम्बन्धित योजना में स्वीकृत/आवंटित धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग कर लिया गया है और पूर्व में स्वीकृति/आवटिंत धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर/डिपाजिट आदि खातों में जमा नहीं है तथा पूर्व में स्वीकृति/आवंटित सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया है और उसका उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा कोई धनराशि ब्यय हेतु अवशेष नही है।

(2)- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष ब्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में शासन की पूर्व अनुमति/स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें प्राप्त कर ब्यय किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग होने के उपरान्त जो धनराशि बचेगी उसे नियमानुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में राजकोष में जमाकर दी जायेगी।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का पुर्नविनियोजन एक योजना/मद से दूसरी योजना/मद में नहीं किया जायेगा।

(4)- स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष ब्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक लक्ष्यों की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजनाओं/मदों पर होने वाला ब्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-ब्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तगत लेखा शीर्षक "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-15-अत्याचारो से उत्पीडित अनुसूचित जनजातियों की सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-ब्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2/2015 बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में दिये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहें है।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-15/2016/आर-241(1)/26-3-2016-तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
5- समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ)
6- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।